राजस्थान – सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात क	ख	योग	नं० रजि० मुहा०
धारा 22 LR Act	02	25/8/21	22/10/2021				

1. कुम्भाराम S/o लेखुराम जाट इन्दपुरा
2. भूपसिंह/हजारी राम
3. राजूराम/सीधुराम
4. राजेन्द्र/नन्दराम जाट सा० इन्दपुरा

बनाम

सरकार

(श्री वकील) (श्री वकील)

फहरिस्त कागजात

नम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:08 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम 1 कुम्भाराम पुत्र लेखुराम जाति जाट 2 भूपसिंह पुत्र हजारीराम 3 राममूर्ति पुत्र झीण्डूराम 4 राजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0 02 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.08.2021	पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा ग्राम दलपतपुरा के अप्रार्थी सं0 1 कुम्भाराम पुत्र लेखुराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार तथा 2 भूपसिंह पुत्र हजारीराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार 3 राममूर्ति पुत्र झीण्डूराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार तथा 4 राजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 1.012 है0 में ग्वार व 1.012 है0 में मूंग नाजायज संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.09.2021 को पेश हो। [signature]	879 3/9/21
17.9.21	PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने से अतः पत्रावली दिनांक 8/10/2021 को पेश हो। PO ह0	
8/10/21	पत्रावली पेशी पर ली गयी। [illegible] ILR [illegible] पत्रावली दिनांक 14/10/21 को पेश हो। ह0	D.M. 981 8/10/21
14/10/21	पत्रावली पेशी पर ली गयी। [illegible] रिपोर्ट [illegible] ILR [illegible] पत्रावली पेश हो। ह0	D.M. 983 14/10/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:08 IST
Reason: SelfAttested

22.10.2021	पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकि हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी अप्रार्थीगण घर पर नही मिलने से नोटिस सरपंच प्रतिनिधि से तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण 1 कुम्भाराम पुत्र लेखुराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार तथा 2 भूपसिंह पुत्र हजारीराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार 3 राममूर्ति पुत्र झीण्डूराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार तथा 4 राजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 1.012 है0 में ग्वार व 1.012 है0 में मूंग फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 850 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को आदेश दिये जाते है कि वे कुर्क शुद्वा खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये। पटवारी हल्का / तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । ओ तहसीलदार(राजस्व) नोहर Signature Not Verified Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal Date: 2021.11.11 17:30:08 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 02 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

1 कुम्भाराम पुत्र लेखुराम जाति जाट 2 भूपसिंह पुत्र हजारीराम 3 राममूर्ति पुत्र झीण्डूराम 4 राजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 22.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दलपतपुरा ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 कुम्भाराम पुत्र लेखुराम जाति जाट 2 भूपसिंह पुत्र हजारीराम 3 राममूर्ति पुत्र झीण्डूराम 4 राजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर द्वारा ग्राम दलपतपुरा के अप्रार्थी सं0 1 कुम्भाराम पुत्र लेखुराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार तथा 2 भूपसिंह पुत्र हजारीराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार 3 राममूर्ति पुत्र झीण्डूराम द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 2.024 है. में ग्वार तथा 4 राजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 507 की कुल 16.187 है0 में से 1.012 है0 में ग्वार व 1.012 है0 में मूंग की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण धर पर नही मिलने के कारण सरपंच प्रतिनिधि से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 मेघाना को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 850 /– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मेघाना द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अग[illegible]आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसील राजस्व लेखाकार एवं [illegible] क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर